कार्यालय, लोकपाल मनरेगा, मुजफ्फरपुर।

परिवाद संख्या– 121–122/14 तिथि–28.09.2015

महेन्द्र दास एवं सिधेश्वर दास बनाम अन्य (कटरा)

उपस्थित –श्री रमेन्द्र नाथ राय (लोकपाल)

निर्णय

परिवादी श्री महेन्द्र दास एवं सिधेश्वर दास के प्रतिनिधि के रूप में श्री वी. के. ठाकुर द्वारा दिनांक 22.10.2014 को एक परिवाद दायर की गयी। इसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि दिनांक–15.12.2010 से 15.04.2011 तक कुल 115 दिन वनपोषक के रूप में कार्यरत रहे। आवेदक महेन्द्र दास को मजदूरी के रूप में 1596 रु0 का भुगतान किया गया। शेष मजदूरी की राशि 115 कार्य दिवस X 144 रु0 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से 16560 रु0 शेष बकाया मजदूरी 14964 रु0 देय है।

आवदेक सिधेश्वर दास को विपक्षी द्वारा उनके डाकघर खाता नं0 8659335 में मजदूरी की राशि का भुगतान नहीं किया गया। उपरोक्त दोनों आवेदकों द्वारा मजदूरी की मांग किये जाने पर मुखिया, एवं तत्कालीन पंचायत रोजगार सेवका, श्री राजेश कुमार द्वारा भुगतान का झुठा आश्वासन दिया जाता रहा।

मा0 मुखिया, तत्कालीन पं.रो.से. श्री राकेश कुमार, एवं वर्त्तमान पं.रो.से., श्री पंकज कुमार, को नोटिस जारी की गयी। इसके जवाब में श्री पंकज कुमार, तत्कालीन पं.रो.से., कटरा ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक महेन्द्र दास, पिता–जोखन दास, ग्राम–दरगाह टोला, पोस्ट–गंगेया, प्रखंड एवं थाना–कटरा, जिला–मुज0 के द्वारा बताया गया है कि दिनांक–15.12.2010 से 15.04.2011 तक वनपोषक के रूप में काम किया है और मजदूरी मात्र 1596 रु0 भुगतान किया गया है, इस संबंध में मुझे कहना है कि ग्राम पंचायत राज, कटरा के पूर्व पदस्थापित पंचायत रोजगार सेवक, राजेश कुमार के द्वारा दिनांक–01.03.2012 को कटरा पंचायत का प्रभार दिया गया। जिसमें वृक्षारोपण से संबंधित कोई भी अभिलेख नहीं दिया गया था। साक्ष्य के रूप में प्रभार सूची की छायाप्रति एवं प्रभार सूची में दिए गए योजनाओं के अभिलेख की छायाप्रति संलग्न की गई है।

दूसरे आवेदक सिधेश्वर दास, पिता–रघुनाथ दास उर्फ रघुदास, ग्राम–दरगाह टोला, पोस्ट–गंगेया, प्रखंड एवं थाना–कटरा, जिला–मुज0 के संबंध में कहा गया है कि उसने मनरेगा योजना में वनपोषक के रूप में 15.12.2010 से 15.04.2011 तक काम किया है लेकिन मजदूरी भुगतान लंबित है। मनरेगा में काम करने के लिए पहले जॉब कार्ड होना जरूरी होता है। आवेदक ने अपने आवेदन में काम की तिथि–15.12.2010 से 15.04.2011 तक कह रहा है। उक्त अवधि में उक्त आवेदक का जॉब कॉर्ड ही जारी नहीं किया गया था। आवेदक को पंचायत कार्यालय, कटरा से 14.12.2012 को जॉब कार्ड जारी किया गया था।

दिनांक–24.03.2015 को आवेदक सिधेश्वर दास के पिता–श्री रघुनाथ दास उर्फ रघुदास ने अपने एक आवेदन में कहा है कि मनरेगा के अंतर्गत उसे 200 पेड़ लगाने की अनुमति मिली। इसमें ससमय कैलाश गुरू जी के मथबाड़ा से पेट्रॉल पम्प तक 200 पेड़ लगाया। इस कार्य में मेरे साथ रामवृक्ष पासवान तथा कपिलेश्वर पासवान भी काम किए थे। आवश्यकता पड़ने पर इन दोनों की गवाही भी दिलवाई जा सकती है।

दिनांक–07.04.2015 को उषा देवी, पति– रामू दास, ग्राम–दरगाह, पंचायत–कटरा पोस्ट–सोनपुर थाना–कटरा, जिला–मुज0 ने शपथपूर्वक बयान दिया कि उसने और उसके पति दोनों ने योजना–स्व0 चन्दे सिंह के घर से लेकर पेट्रॉल पम्प तक वृक्षारोपण का कार्य किया। एक अन्य मजदूर ममता देवी, पति श्री सिधेश्वर दास, ग्राम–दरगाह टोल, पोस्ट–गंगेया, प्रखंड एवं थाना–कटरा, जिला–मुज0 ने भी शपथपूर्वक बयान दिया कि उसने और उसके पति ने योजना– संजय सिंह के घर से लेकर पेट्रॉल पम्प तक वृक्षारोपण का कार्य किया।

दिनांक–15.09.2015 को कपिलेश्वर पासवान, पिता– स्व0 चुल्हाई पासवान, ग्राम+थाना–कटरा, जिला–मुज0 द्वारा एक शपथ–पत्र दाखिल किया गया है जिसमें उसने उल्लेख किया है कि उसके पंचयात में मनरेगा का कार्य गुरुजी के मथवाड़ा से लेकर पेट्रॉल पम्प मेनरोड में मुखिया के द्वारा काम कराया गया। इसमें उसने यह भी उल्लेख किया है कि सिधेश्वर दास, रघुदास और वह स्वयं (कपिलेश्वर पासवान) वनपोषक के रूप में कार्य किया है।

लोकपाल मनरेगा मुजफ्फरपुर

—: विचारणीय बिन्दु :—

क्या परिवादी महेन्द्र दास ने एवं सिधेश्वर दास ने मनरेगा अंतर्गत काम किया है? यदि हाँ तो क्या उनका भुगतान हुआ है?

—: निष्कर्ष :—

परिवादी महेन्द्र दास के संबंध में कोई साक्ष्य उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा दूसरे परिवादी सिधेश्वर दास के तरफ से उनके पिता—श्री रघुनाथ दास उर्फ रघुदास दास द्वारा अपनी बात रखी गई है। दोनों परिवादी अर्थात महेन्द्र दास एवं सिधेश्वर दास द्वारा अपनी ओर से किसी भी प्रकार का न तो साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है और न ही कभी सुनवाई में उपस्थित हुआ गया है। उपलब्ध कराए साक्ष्य में भी न तो प्रासंगिकता है और न ही तारतम्यता है। इससे स्पष्ट होता है कि दोनों परिवादी द्वारा लगाए गए आरोप के प्रति गंभीर नहीं है। इस प्रकार यह परिवाद खारिज किए जाने योग्य है।

—: आदेश :—

उपरोक्त निष्कर्ष के आलोक में इस वाद को खारिज किया जाता है।

ह/०

लोकपाल (मनरेगा),
मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक 116 / मुज0, दिनांक–28 /09/ 2015

प्रतिलिपि :— प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि :— जिलाधिकारी—सह—जिला कार्यक्रम समन्वय, मुज0 को सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि :— जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आदेश की प्रति को जिले के वेबसाईट पर अपलोड कराने की कृपा की जाए।
प्रतिलिपि :— संबंधित आवेदक को सूचनार्थ प्रेषित।

रमेन्द्र नाथ राय
28/9/15
लोकपाल (मनरेगा),
मुजफ्फरपुर।

लोकपाल मनरेगा मुजफ्फरपुर